

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025-E-33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण जनहित में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री लोकेश कुमार, मानचित्रक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रानीखेत	जनहित

श्री लोकेश कुमार, मानचित्रक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री लोकेश कुमार का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

हो
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/2617/स्था०अनु०-1/(व०मा०/मा०/अनु०)/वा० स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6 2025,
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री लोकेश कुमार, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रपुर।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री लोकेश कुमार को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रानीखेत को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा/ऊधमसिंहनगर।
6. संयुक्त कृषि निदेशक कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
7. गार्ड पत्रावली।

50
(डा०अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून